जिला शिक्षा अधीक्षक का कार्यालय, देवघर।

पत्रांक 76 दिनांक 17/01/2024

सेवा में,

प्रबंधक,

मैत्रेय स्कूल, बरमसिया, देवघर।

विषयः– निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोंजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 एवं संशोधित अधिनियम के नियम के अधीन विद्यालय के लिए पूर्णतया कालबद्ध औपबंधिक प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके द्वारा ऑनलाईन एवं हार्ड कॉपी में समर्पित आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ तत्पश्चात् हुए पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर मैं, मैत्रेय स्कूल, बरमसिया, पो0 एवं जिला–देवघर को शैक्षणिक सत्र 2024–25 में कक्षा नर्सरी से 8(आठ) तक के लिए पूर्णतया कालबद्ध औपबंधिक मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त औपबंधिक मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं–

1. इस मान्यता में किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता निहित नहीं है।
2. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियमए 2009 की धारा 18 के प्रयोंजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 एवं संशोधित अधिनियम के उपबंधों को पूर्णरूपेण पालन करेगा।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. उक्त कंडिका–3 में उल्लेखित विद्यार्थियों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 की उप धारा(2) के उपबंधों के तहत् प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा।
5. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी विद्यार्थी या उसके माता पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा।
6. विद्यालय किसी विद्यार्थी को उसकी आयु का सबूत नहीं होने के कारण, प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और ऐसे स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जाएगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगाः

i) प्रवेश दिए गए किसी भी विद्यार्थी को , विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुतीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

ii) किसी भी विद्यार्थी का शरीरिक दंड या मानसिक दंड नहीं दिया जायेगा।

iii) प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी विद्यार्थी से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक प्रत्येक विद्यार्थी को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।

vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1)के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएँ के अनुरूप किया जाएगा तथा जिनके पास उस निर्धारित न्यूनतम अहर्ता, अधिनियम 2009 के लागू होने के समय नहीं है, पाँच वर्षों के भीतर ऐसी न्यूनतम अहर्ताएँ अर्जित कर लेंगे।

vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, और

viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्ययन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिरूपित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा।
10. विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदित की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं–

I. विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल– 445350FT

II. कुल निर्मित क्षेत्र– 7040 SQFT

III. क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल– 37495 SQFT

IV. कक्षाओं की संख्या– 12

V. प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडागार के लिए कक्ष–उपलब्ध

VI. बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय–उपलब्ध

VII. पेयजल सुविधा–पर्याप्त उपलब्ध

VIII. बाधारहित पहुँच–उपलब्ध

IX. अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता

11. विद्यालय के परिसर के भीतर या बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यताप्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएगी।
12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा या कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।
13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।
14. विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टर अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।
15. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार /स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करे या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाये।
16. झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 एवं संशोधित अधिनियम संकल्प सं0 629 दिनांक 25.04.2019 की कंडिका 4(1) में निहित प्रावधान अनुसार विद्यालय प्रबंधन को विद्यालय की जमीन संबंधी रजिष्टर्ड लीज जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को एक वर्ष के अन्दर उपलब्ध कराए ।
17. विद्यालय को यह मान्यता उपायुक्त, देवघर –सह–अध्यक्ष, जिला प्रारंभिक समिति, देवघर द्वारा संचिका पर दिए गए आदेश के आलोक में दी जाती है। यह औपबंधिक मान्यता मात्र एक वित्तीय वर्ष/शैक्षणिक सत्र के लिए मान्य है। ,
18. विद्यालय को संचालित करने वाले सोसाईटी के रजिष्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाएगा।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या **RTE/DEO/2024-25/002** .है। कृपया इसे नोट कर लें और इसे कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक/पत्रांक का उल्लेख किया जाये।

16/01/24

जिला शिक्षा अधीक्षक,
देवघर।

16/01/2024